झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 3534/2023

राकेश कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता- ईश्वर पासवान, निवासी गांव- धरहरा, डाक घर और थाना- सिलाओ, जिला- नालंदा, बिहार .... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अंजनी कुमार, एडवोकेट।

राज्य के लिए : श्री शैलेंद्र कुमार तिवारी, विशेष पीपी।

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, हालांकि, कई प्रार्थनाओं के साथ, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपनी बाकी सभी प्रार्थनाओं को छोड़ देता है और पाकुड़ (एम) आरोप-पत्र सं. 99/2020 के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 को रद्द करने के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित करता है। जिसके द्वारा विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ ने आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है।

3. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि 26.06.2023 को, पाकुड़ (एम) आरोप-पत्र सं. 99/2020 के आईओ ने आवश्यक सामग्री का उत्पादन करके आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने की प्रार्थना के साथ एसडीजेएम, पाकुड़ की अदालत में एक आवेदन दायर किया। जैसा कि एसडीजेएम, पाकुड़ को केस डायरी सहित उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों पर विचार करने के बाद यह प्रतीत हुआ कि याचिकाकर्ता, जो मामले का आरोपी व्यक्ति है, अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, इस प्रकार, संतुष्ट होने के कारण, विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ ने आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता को अपनी अदालत में पेश होने की आवश्यकता थी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ द्वारा कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं की गई है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 पाकुड़ (एम) आरोप-पत्र सं. 99/2020 अवैध है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए और अलग रख दिया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष पीपी पाकुड़ (एम) आरोप-पत्र सं. 99/2020 के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एसडीजेएम, पाकुर ने अपने समक्ष रखी गई सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत तरीके से अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि आरोपी व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी से बच रहा है और उसके बाद ही, बिना किसी अनिश्चित तरीके के, आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ द्वारा पाकुड़ (एम) आरोप-पत्र सं. 99/2020 मे पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 में कोई अवैधता नहीं है और बिना किसी योग्यता के होने के कारण इस आपराधिक विविध याचिका को खारिज किया जाए।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, इस अदालत ने पाया कि एसडीजेएम, पाकुड़ ने स्पष्ट शब्दों में अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि मामले का आरोपी व्यक्ति- याचिकाकर्ता होने के नाते, अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था और केवल इस तरह की संतुष्टि दर्ज करने के बाद, आपराधिक विविध याचिका की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है, विद्वान एसडीजेएम, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 में पाकुड़ (एम) आरोप-पत्र सं. 99/2020 के संबंध में कोई अवैधता नहीं है।

7. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
22 मार्च, 2024 को दिनांकित किया
स्मिता/ए. एफ. आर.

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।